Annexure-'C'

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & L. TAX DEPTT.
L & N BLOCK, I.P. ESTATE, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF/157-194 Dated : 23/01/2020

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" on account of general elections to State Legislative Assembly of Delhi, 2020 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-9A, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10, P-10A and P-13 licensees and opium vends located in Delhi:

1. On 06.02.2020 (Thursday) from 6:00 P.M. to 08.02.2020 (Saturday) upto 6:00 P.M. (Polling Day) (i.e. for 48 hours)

2. On 11.02.2020 (Tuesday) full day (On Counting day)

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Order No. F.10(56)/96-97/IMFL/EX/PF/19 dated 07.01.2020.

23/1/2020
(RAVI DHAWAN)
COMMISSIONER OF EXCISE

No.F.10(56)/96-97/EX./IMFL/PF\107-124 Dated : 23\01\2020

Copy forwarded to :

1. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi
2. Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi
3. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi
5. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
6. Chief Electoral Officer, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue), NCT of Delhi.
8. The Commissioner of Police, NCT of Delhi.
9. The Director of Information and Publicity for wide publicity.
10. The Dy. Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazette.
11. The Addl. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.
12. Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Department of Excise, Entt. & Luxury Tax, GNCT of Delhi.
13. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
14. All Excise Inspectors/Sub-Inspectors for ensuring strict compliance.
15. The Managing Director, DSIIDC, DTTDC, DSCSC & Administrator, DCCWS.
16. Notice Board.
17. Guard File.
18. Website of the Department.

23/1/2020
(RAVI DHAWAN)
COMMISSIONER OF EXCISE

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल व एन ब्लॉक विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली – 110002

सं. फा. 10(56)96–97/आई.एम.एफ.एल./आब./पी.एफ.–II/ 107-125 दिनांकः 23/01/2020

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम–52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के सामान्य चुनाव–2020 में होनें के कारण निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल–1, एल–1एफ, एल–2, एल–3, एल–4, एल–5, एल–6, एल–6एफई, एल–6एफजी, एल–7, एल–7एफजी, एल–7एफई, एल–8, एल–9, एल–9ए, एल–10, एल–11, एल–12, एल–12एफ, एल–14, एल–15, एल–15एफ, एल–16, एल–16 एफ, एल–17, एल–17एफ, एल–18, एल–18एफ, एल–19, एल–19एफ, एल–20, एल–20एफ, एल–21, एल–21एफ, एल–22, एल–23, एल–23एफ, एल–25, एल–26, एल–27, एल–28, एल–28एफ, एल–29, एल–29एफ, एल–31, एल–32, एल–33, एल–34, एल–35, पी–10, पी–10ए, पी–13, लाइसेंसधारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होगें।

1. दिनांक 06.02.2020 (बृहस्पतिवार) सांय 6:00 बजे से दिनांक 08.02.2020 (शनिवार) मतदान दिवस सांय 6:00 बजे तक (जो कि 48 घंटे के लिए है)।
2. दिनांक 11.02.2020 (मंगलवार) पूरा दिन (मतगणना दिवस)।

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की आदेश संख्या फा. 10(56)96–97/आई.एम.एफ.एल./आब./19 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

रवि धवन
(रवि धवन) 23/1
आबकारी आयुक्त, दिल्ली

सं. फा. 10(56)96–97/आई.एम.एफ.एल./आब./पी.एफ.–II/ 107-124   दिनांक: 23/01/2020

प्रतिलिपि:

1. माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली
4. वित्त मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. मण्डल आयुक्त एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
8. पुलिस आयुक्त, दिल्ली
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (वृहद प्रचार हेतु)
10. उप–सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
11. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली
12. उपायुक्त (कर/आबकारी), दिल्ली सरकार, दिल्ली
13. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने नियंत्रण के समस्त लाईसेंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं।
14. समस्त आबाकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को सख्ती से पालन हेतु।
15. प्रबंध निदेशक, डी.एस.आई.डी.सी./डी.टी.टी.डी.सी./डी.एस.सी.एस.सी. प्रशासक एवं डी.सी.सी. डब्ल्यू.एस.।
16. सूचना पट
17. विभाग की वेबसाईट
18. गार्ड फाईल

रवि धवन 23/1/2020

(रवि धवन)
आबकारी आयुक्त, दिल्ली

Annexure-'D'

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

संख्या— 236/01/वि0स0सा0नि0/2020/आबकारी /बन्दी/गौतमबुद्धनगर दिनांक:फरवरी 01, 2020

आदेश

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज के पृष्ठांकन आदेश संख्या— 27421—27723/दस—लाइसेंस —397/वि0 सभा सामान्य निर्वाचन 2020/खंड—6 दुकानों की बंदी/दिनांक 31.01.2020 में दिये गये निर्देश के कम में उत्तर प्रदेश, आबकारी अधिनियम—1910 की धारा—59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि दिल्ली राज्य में दिनांक 08.02.2020 को होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन—2020 के मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 06.02.2020 के सायं 06:00 बजे से दिनांक 08.02.2020 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 11.02.2020 को सम्पूर्ण दिवस दिल्ली राज्य की सीमा के 03 किमी0 की परिधि में आने वाली जनपद गौतमबुद्धनगर की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग की फुटकर बिकी की दुकानों, बाण्ड/थोक अनुज्ञापनों, बार, होटल बार , रेस्त्रा बार, क्लब, सैन्य कैन्टीनों (एफ0एल0—9/9ए), फार्मेसी से मादक पदार्थो की बिकी एवं परिवहन पूर्णतया प्रतिबन्धित/बन्द रहेगा।

उक्त अवधि में बन्दी के फलरूप आबकारी अनुज्ञापियो को किसी प्रकार का प्रतिफल आदि देय नहीं होगा।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(बी0एन0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

संख्या— /दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। :—

1. प्रमुख सचिव आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. आयुक्त(आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर), दिल्ली सरकार।
3. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
4. उपायुक्त पुलिस, जोन—1, जोन—2 व जोन—3 गौतमबुद्धनगर ।
5. अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/वि0रा0, जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. उप जिलाधिकारी, सदर, दादरी एवं जेवर गौतमबुद्धनगर।
7. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र—1, 2, 3 एवं 4 गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित समस्त अनुज्ञापियों को अनुपालनार्थ।

(बी0एन0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

Annexure-'E'

All AETO(I) and EIs note for compliance

2091

19-1-2020

ORDER

Whereas General Election to Delhi Assembly are scheduled to be held on 08.02.2020. Whereas the Election Commission of India has directed "Dry Days" should be declared during the 48 hours, ending with the hour fixed for conclusion of poll and for the day of counting with in the 3 Kms. of the areas of the state adjoining to the State of Delhi. Therefore, I, Shekhar Vidyarthi, IAS, Excise Commissioner, Haryana, Panchkula in pursuance of the provisions of rule 37(10) of the Haryana Liquor License Rules, 1970 hereby order that the liquor vends falling within the 3 Kms. of the areas of the State of Haryana adjoining to the State of Delhi shall remain closed during the period i.e. 6.00 P.M of 6th February, 2020 to 6.00 P.M of 8th February, 2020 and on the counting day i.e. 11.02.2020.

I further order that the restrictions prescribed in the excise laws on possession and storage of liquor in unlicensed premises shall be vigorously enforced in order to ensure that storage of liquor by individuals is drastically reduced during the aforementioned period.

Panchkula, dated
the 29-01-2020

SHEKHAR VIDYARTHI,
EXCISE AND TAXATION COMMISSIONER,
HARYANA.

No. 6533 /X-I,
Excise and Taxation Commissioner's Office,
Haryana, Panchkula, dated the 29/01/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Secretary to Government Haryana, Chandigarh.
2. The Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department.
3. The Principal Secretary to Govt. Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh.
4. The Chief Electoral Officer, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh.
5. The Chief Electoral Officer, Delhi, Old St. Stephen College Building, Kashmere Gate, Delhi.
6. The District Magistrate, Sonipat, Faridabad, Jhajjar and Gurgaon.
7. The Superintendent of Police, Sonipat, Faridabad, Jhajjar and Gurgaon.
8. The Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise), Sonipat, Faridabad, Jhajjar and Gurgaon.

Assistant Excise and Taxation Officer (Excise)
for Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.

29/1/2020 EC

Annexure - f

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

संख्या 251/2 /आबकारी गाजियाबाद/बंदी/निर्वाचन–2020/ दिनांक फरवरी 01 ,2020

आदेश

दिल्ली राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2020 के कार्यक्रमानुसार दिनांक 08–02–2020 को मतदान तथा दिनांक 11–02–2020 को मतगणना दिवस निर्धारित है। उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र संख्या–114 ई–2/तेरह–2020–38/2014 लखनऊ दिनांक 24–01–2020 तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संख्या 27420/दस–लाइसेंस–397/वि0सभा सामान्य निर्वाचन 2020/खण्ड–6 दुकानों की बंदी/दिनांक 31–01–2020 के परिप्रेक्ष्य में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्वक चुनाव कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के प्राविधानों के कम में दिल्ली राज्य की सीमा से 03 कि0मी0 परिधि में जनपद गाजियाबाद में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापनों देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व भॉग की फुटकर बिकी की दुकानों ,मॉडल शॉप्स, बार, एवं सैन्य कैन्टीन (एफ0एल09/9ए अनुज्ञापन), थोक अनुज्ञापनों (सी0एल02,एफ0एल0–2, एफ0 एल0 2डी, एफ0एल0–2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0 2ए/2बी /2सी /2डी) से मदिरा/बीयर/भॉग की बिकी के साथ–साथ एम0ए0 2/4 से बिकी मतदान दिवस 08–02–2020 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 06–02–2020 को सॉय 06:00 बजे से दिनांक 08–02–2020 को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस के दिनांक 11–02–2020 को मादक पदार्थ की बिकी प्रतिबन्धित (ड्राई–डे) रहेगी।

इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद

संख्या /तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आबकारी आयुक्त, दिल्ली प्रदेश नई दिल्ली।
2–संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ ।
3–उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार मेरठ।
4–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों /थानाध्यक्षो को तद्‌नुसार निर्देशित करने का का कष्ट करें।
5–समस्त अंपर जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6–सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जनपद गाजियाबाद।
7–सहायक सूचना निदेशक, जनपद गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि इस आदेश को जनपद के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8–सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक, सेक्टर/क्षेत्र जनपद गाजियाबाद को समस्त अनुज्ञापियो से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
9–सम्बन्धित अनुज्ञापीगण, जनपद गाजियाबाद।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद